

प्रेषक,

निदेशक,  
पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,  
अनुदान सं०-83  
तेरह अंको का कोड-2515007890401

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी /

आहरण-वितरण अधिकारी,

नेरठ, आगरा, एटा, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, जौनपुर,  
गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, अयोध्या, प्रतापगढ़, ललितपुर, कानपुर देहात, सिद्धार्थ नगर,  
फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, चन्दौली, बलरामपुर तथा सन्त कबीर नगर।

संख्या- 1/ 65 /2021-1/08/2021 :

लखनऊ: दिनांक 05 जुलाई, 2021

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के मानक मद 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।


महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-29/2021/792/33-3-2021-791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रूपया-45,43,525/- (रूपया पैतालिस लाख तैतालिस हजार पांच सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
10. आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
14. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
15. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
16. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
17. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
18. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-  
1-कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
2-वर्ष 2021-22 में यदि कोई धनराशि अवशेष है, तो उसका समर्पण दिनांक 10.03.2022 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-106 पर अंकित है।


संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,  
  
(किजल सिंह)  
निदेशक,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/ 65 /1/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
  2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
  3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
  4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
  5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
  6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- ✓ एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
(ब्रजेश कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

अनुदान संख्या-83)-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी के अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन

(धनराशि रुपये में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	सफाईकर्मी का नाम	49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	योग
1	मेरठ	हरिकृष्ण	40012	230073
		प्रदीप कुमार	23188	
		प्रदीप कुमार	28760	
		प्रदीप कुमार	8921	
		श्रीमती ममता	42675	
		अमित कुमार	78523	
		आनन्द कुमार	7994	
2	आगरा	रूपकिशोर	218817	312545
		श्रीमती शशि	79481	
		अरूण कुमार	14247	
3	एटा	श्रीमती सुमन कुमारी	56027	111846
		हेमराज	45945	
		हेमराज	9874	
4	बरेली	धर्मपाल	10858	365056
		जितेन्द्र प्रसाद	183502	
		अजय कुमार	11200	
		अजय कुमार	49386	
		अजय कुमार	29738	
		अजय कुमार	80372	
5	बदायूं	धर्मेन्द्र सिंह	251410	276416
		आशीष कुमार	25006	
6	मुरादाबाद	बब्लू सिंह	18610	57539
		निकलसन	20319	
		श्रीमती रजनी देवी	18610	
7	रामपुर	सुनील कुमार	38815	38815
8	फर्रुखाबाद	श्रीमती मंजू देवी	57780	57780
9	कानपुर नगर	विककी वाल्मीकि	36002	214241
		राकेश कुमार	154714	
		अजय कुमार	23525	
10	प्रयागराज	दिनेश कुमार गौतम	122988	211218
		दिगम्बर	20981	
		राजेश कुमार	67249	
11	जौनपुर	कृष्णकुमार	98892	301267
		उमाशंकर	31068	
		संतोष कुमार	83008	
		अक्षय कुमार	21205	
		अशोक कुमार	67094	
12	गोरखपुर	बलिराम	13902	675131
		जितेन्द्र कुमार	31356	
		गिरिश चन्द्र प्रसाद	20221	
		गिरिजेश	27080	
		रमाशंकर	38904	
		श्रीमती रमावती	80901	
		श्रीमती शीमा देवी	70834	
		राकेश कुमार	41586	
		राकेश कुमार	45837	

0	जनपद का नाम	सफाईकमा का नाम	49-चाकत्सा प्राप्तभूत	योग
		संजय कुमार	34350	
		वीरेन्द्र कुमार	12738	
		वीरेन्द्र कुमार	52359	
		वीरेन्द्र कुमार कन्नौजिया	12738	
		अमिचन्द	36118	
		अरविन्द कुमार	15349	
		गुलाब	140858	
13	बस्ती	राम संवारे	58679	58679
14	आजमगढ़	राजाराम	312200	312200
15	देवरिया	युगल किशोर	54993	
		कमलेश प्रसाद	21894	
		मुन्ना	33477	
		मुन्ना	5628	
		हरिवंश	11213	
		हरिवंश	69731	
		हरिवंश	24207	
		प्रभुनाथ गुप्ता	16831	
		श्रीमती मंजू देवी	73316	
		सुवाष प्रसाद	31252	
		सुवाष प्रसाद	5785	
		सुवाष प्रसाद	5187	
		सुनील कुमार	74615	
		नन्दलाल प्रसाद	16660	
16	अयोध्या	काशीराम	14960	
		श्रीमती कुश कुमारी	24300	
		श्रीमती मीना	39416	78676
17	प्रतापगढ़	राजकरन	59096	
		बबलू	170578	237033
		कमलेश प्रसाद	7359	
18	ललितपुर	निपरत	15850	
		हरवंश	54940	116680
		प्रमोद कुमार	45890	
19	कानपुर देहात	सुनील कुमार	15994	164760
		अरविन्द कुमार	34627	
		श्रीमती सुनीता देवी	18756	
		श्रीमती सुनीता देवी	53841	
		आनन्द प्रकाश	41542	
20	सिद्धार्थ नगर	अनिल कुमार	32831	32831
21	फिरोजाबाद	हरी सिंह	54754	68969
		सत्राजीत	14215	
22	गौतमबुद्धनगर	राजकुमार	42427	42427
23	चन्दौलो	श्रीमती मन्जू देवी	82662	82662
24	बलरामपुर	श्रीमती सरोज देवी	21627	21627
25	सन्त कबीर नगर	राजकुमार	30265	30265
	योग		4543525	4543525

(रु०) चैतालिस लाख चैतालिस हजार पांच सौ पच्चीस मात्र)

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/07/2021

प्रेषण संख्या:- 1-65-2021-1-08-2021  
आवंटन आदेश संख्या:- 003-1-08-2021

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04 -

01 - सफाई कर्मचारी


(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 230073 762763	230073 762763
2	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 312545 509111	312545 509111
3	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 111846 635274	111846 635274
4	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 365056 570471	365056 570471
5	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 276416 276416	276416 276416
6	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 57539 57539	57539 57539
7	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 38815 482924	38815 482924
8	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 57780 805847	57780 805847
9	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 214241 681843	214241 681843
10	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 211218 1217477	211218 1217477
11	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 301267 737345	301267 737345
12	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 675131 1376497	675131 1376497
13	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 58679 362615	58679 362615
14	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 312200 921700	312200 921700
15	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 444789 1741630	444789 1741630
16	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 78676 172654	78676 172654
17	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 237033 831725	237033 831725

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		49-चिकित्सा व्यय	योग
18	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	116680 405501	116680 405501
19	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	164760 164760	164760 164760
20	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	32831 51078	32831 51078
21	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	68969 176346	68969 176346
22	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	42427 308019	42427 308019
23	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	82662 311068	82662 311068
24	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21627 21627	21627 21627
25	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	30265 515078	30265 515078
	योग	वर्तमान प्रगामी	4543525 14097308	4543525 14097308

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैतालीस लाख तियालीस हजार पाँच सौ पच्चीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चालीस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ आठ

  
(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी